

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

सरकार जॉर्जे रिपोर्ट पटवारी हल्का गारु बंनान वावू प्रभू शिवाजी माली गण

इसका अर्थात छया 11 प्रलवापि पुस्त

प्रकरण संख्या - RA/49/18

निर्णय दिनांक :- 25/2/19

प्रभावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संदेप में इस प्रकार है कि याग गारु की 2337 कुल रकवा 2-53 किस्म जागीर 0.01 में से 0.01 रकवा पर की वावू शिवाजी माली पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण धर मिथी प्रल कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का गारु द्वारा दिनांक 9/1/18 को उपरोक्त विवाद कात्तूनी कार्यवाही दिखे जाने की रिपोर्ट गव तार्थव भू.अ.निरी. दारीवा के द्वारा प्रस्तुत किमे जाने पर प्रकरण दर्श रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमि वावू प्रभू शिवाजी माली निवासी गारु को भू. राजारण अधिनियम 1956 की धारा 9 वं धारा नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस धाद तामील प्राप्त होने पर शानिल प्रभावली किया गया। अतिक्रमि


वावू प्रभू शिवाजी माली उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शानिल प्रभावली है। कापू कुल रकवा आ.अ.न. 2327 रकवा 2-53 में से 0.01

रकवा किस्म गोमु रास्ता है जो नियम में कार्य नहीं है द्विहाजा सौरसायम को अतिक्रमिल रकवा से वेदखल किया जाने के आदेश दिगे जाते है एवं एण्ट रवरुम लगान 06 Pais का 50 गुना 3/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कार्यभी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी तसूली एद वेदखली हेतु हल्का पटवारी गारु भू.अ.निरी. दारीवा को लिखा जाकर धाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठुमार (अलवर)
कठुमार, अलवर (राज.)

हल्का

रा. नि. सं 4, क. 48 सं 32 कम 1
सं 90.8-19... 3/-
ही कोषी को गई


12/3/19
तहसीलदार
कठुमार